न्यायालय, भूमि सुधार उप – समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

एस0 ए0 आर0 वाद सं0 09/2017–18

71(A) सी0एन0टी0 एक्ट

अनुसूची – 14 फर्म सं0 563

प्रथम पक्ष – फेकु पहान बगैरह .... अपीलार्थी

बनाम्

द्वितीय पक्ष – बन बिहारी सिंह बगैरह ... उत्तरवादी

आदेश की क0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
27/9/22	प्रस्तुत भू–वापसी वाद की कार्रवाई अपीलार्थी (1) फेकु पहान (नगेशिया) (2) चैतु पहान (नगेशिया) दोनो के पिता स्व0 लहस पहान (नगेसिया) ग्राम लोटवा, थाना– पालकोट, जिला – गुमला के आवेदन पत्र पर विपक्षी (1) बन बिहारी सिंह पिता स्व0 पुरन सिंह (2) धुरन सिंह (3) जगेश्वर सिंह पिता स्व0 सुखदेव सिंह ग्राम लोटवा जोगीमठ थाना पालकोट जिला गुमला के विरूद्ध छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा –71 'A' के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई है। जिसके द्वारा मौजा लोटवो के थाना सं0 29, खाता सं0 112 प्लॉट सं0 131, 132 रकबा 0.18, 0.46 एकड़ कुल रकबा 0.64 एकड़ भूमि की वापसी का अनुरोध किया गया हैं। आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन में कहना है कि विपक्षी छल–प्रपंच कर नाजायज तरिके से उनकी पैत्रिक वाद्ग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया है। आवेदक (1) फेकु पहान (नगेशिया) (2) चैतु पहान (नगेशिया) दोनो के पिता स्व0 लहस पहान (नगेसिया) ग्राम लोटवा थाना पालकोट के द्वारा अनुरोध किया हैं कि उक्त जमीन को उन्हें वापस किया जाय। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन के अवलोकन के पश्चात वाद्गत भूमि के संबंध में आवेदक एवं विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु आम नोटिस निर्गत किया गया एवं वाद्गत भूमि से संबंधित जॉच प्रतिवेदन अंचल बसिया से मांग किया गया जो प्राप्त है। **आवेदक की ओर से दाखिल जवाब एवं दस्तावेज :–** आवेदक के द्वारा उक्त वाद्गत भूमि के संबंध में किसी प्रकार का जवाब दाखिल नहीं किया गया । आवेदक के द्वारा उक्त वाद्गत भूमि के संबंबंध में दाखिल भूमि का कागजातः– (1) खतियान की छाया प्रति। (2) सरकारी लगान रसिद।	

उत्तरवादी की ओर से दाखिल जवाब एवं दस्तावेज :–

उत्तरवादी की ओर से अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए है जिसमें लिखित जवाब दाखिल किया गया है कि आवेदक द्वारा दायर किया गया एस0ए0आर0 केश चलने योग्य नहीं है। वाद से संबंधित जमीन खाता सं0 112 प्लॉट सं0 131 रकबा 0.18 एकड़ तथा 132 रकबा 0.46 एकड़ भूमि की विपक्षी जगेसर सिंह के पिता स्व0 सुखदेव सिंह ने दिनांक 13/01/68 को बजरिये रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीद कर दखलकार है, जमीन का बिक्री आवेदक के पिता स्व0 लहस नगेसिया ने किया है। इस वाद में छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट की धारा 71 (ए) के अन्तर्गत दी गई आवेदन चलने लायक नहीं है अर्थात खारिज योग्य है।

छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट की धारा 71(ए) दिनांक 08/02/69 से लागू है और इस जमीन का हस्तांतरण दिनांक 13/01/68 को हुआ है इसलिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71(ए) का लाभ आवेदक को नहीं मिलेगा। दिनांक 13/01/68 के हस्तान्तरण के बाद सन् 2017–18 में जमीन वापसी का केश दायर हुआ था अर्थात 49 वर्ष के बाद यह वाद काल वाधित है। विपक्षी द्वारा सरकार द्वारा जारी सर्कुलर की प्रति दिनांक 27/02/74 का दाखिल किया जाता है जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि यह विनियम 08/02/69 से लागु समझा जायगा।

विभिन्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर 30 वर्ष की अवधि के अन्तर्गत ही आवेदन 71(ए) के अन्तर्गत दिया जाएगा समय के बाद दायर किया गया वाद खारिज योग्य है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक के आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उत्तरवादी के द्वारा उक्त वाद्‌गत भूमि के संबंबंध में दाखिल भूमि का कागजातः–

1. रजिस्ट्री पट्टा की छाया प्रति।
2. नामांतरण की छाया प्रति।
3. लगान रसिद की छाया प्रति।

अंचल अधिकारी, पालकोट का जॉच प्रतिवेदनः–

उक्त वाद में भूमि संबंधी अंचल अधिकारी, पालकोट के पत्रांक 500 दिनांक 07/09/2017 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित भूमि मौजा लोटवा के खाता सं0 112 प्लॉट सं0 131, 132 रकबा 0.18, 0.46 एकड़ कुल रकबा 0.64 एकड़ भूमि सर्वे खतियान के आधार पर रैयत का नाम शुरठु नगेशिया वो लहस नगेसिया पिता गुगा नगेसिया कौम नगेसिया साकिन देह टोला जोगी मठ दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी के अनुसार रैयत का नाम लहस नगेसिया पिता गुंगा नगेसिया है। लगान देने वाला का नाम (1) फेकु नगेसिया (2) चैतु नगेसिया पिता लहस नगेसिया विवादित भूमि पर अवैध दखलकार के नाम (1) बन बिहारी सिंह पिता स्व0 पुरन सिंह (2) धुरन सिंह (3) जगेश्वर सिंह पिता स्व0 सुखदेव सिंह ग्राम लोटवा जोगी मठ थाना पालकोट जिला गुमला विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हुआ है

निष्कर्षः–

अपीलार्थी, उत्तरवादी एवं अंचल कार्यालय, पालकोट से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन, दोनो पक्षो के दाखिल जवाब, कागजात के आवलोकन के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि उक्त वादगत् भूमि सर्वे खतियान के आधार पर रैयत का नाम शुरठ नगेसिया वो लहक्ष नगेसिया पिता गुंगा नगेसिया कौम नगेसिया साकिन देह टोला जोगीमठ के नाम से दर्ज है। उक्त वादगत् भूमि को उत्तरवादी के जगेसर सिंह के पिता स्व0 सुखदेव सिंह ने दिनांक 13/01/68 को आवेदक के पिता स्व0 लहस नगेसिया से रजिस्ट्री पट्टा द्वारा खरीद कर दखलकार है एवं लगान रसिद कटाते आ रहे है। छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट की धारा 71(ए) दिनांक 08/02/69 से लागू है और इस जमीन का हस्तांतरण दिनांक 13/01/68 को

	किया गया है। उक्त भूमि का हस्तांतरण दिनांक 13/01/68 के बाद सन् 2017 –18 में जमीन वापसी को वाद दायर किया गया है। यह वाद काल बाधित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71 'A' के तहत आवेदक के द्वारा मौजा लोटवा के खाता सं0 112 प्लॉट सं0 131, 132 रकबा 0.18, 0.46 एकड़ कुल रकबा 0.64 एकड़ भूमि को प्राप्त करने हेतु दाखिल एस0ए0आर0 आवेदन को अस्वीकृत किया जाता हैं। लेखापित एवं संशोधित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया (गुमला)। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.15 12:27:39 +05:30
Location: 192.168.1.10